... नूरपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चांदपुर की आख्या अन्तर्गत धारा 80 उ0 प्र0 साह0 के आधार पर प्रारम्भ हुई।

तहसीलदार चांदपुर के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.01.15 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम– नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर की खतौनी वर्ष 1418 – 1423 के खाता सं0 97 गाटा सं0 259 / 1 मि0 क्षे0 4.855 है0 लगान 240.35 रूपये पर खातेदार जियाउद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद नि0 मौ0 राम नगर नूरपुर वहैसियत प्रबन्धक नसीरन मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, नूरपुर खाता सं0 714 के खसरा नं0 276 अ ब क्षे0 6.869 है0 लगान 329.13 पर खातेदार सुरेन्द्र सिंह पुत्र ... सिंह नि0 ग्राम – बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त खातेदार द्वारा गाटा सं0 259/1 मि0 क्षे0 4.855 है0 में से 1.0040 है0 लगान 14.60 रू0 व गाटा सं0 276 अ ब क्षे0 6.869 है में से 0.11 है लगान 10.11 रू0 का बैनामा दिनांक 28.01.15/23.01.15/28.02.12/23.02.12 को नसीरन मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, नूरपुर,, बिजनौर द्वारा प्रब0 श्री जियाउद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद नि0 मौ0 रामनगर नूरपुर के पक्ष में किया गया है। गाटा सं0 259/1 क्षे0 4.855 लगान 240.35 रू0 में से क्षे0 1.0040 है0 लगान 14.60 रू0 व गाटा सं0 276 अ ब मि0 क्षे0 6.869 है लगान 329.13 रू0 में से क्षे0 0... लगान 10.11 रू0 में कोई किसी कार्य कुटकुट पालन, मतस्य, पालन, सुअर पालन आदि का कार्य नही हो रहा है।

अतः ग्राम नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं0 97 गाटा स0 259/1 मी0 क्षे0 4.855 है0 लगान 240.35 रू0 मे से 1.0040 है0 लगान 14.60 रू0 तथा खाता सं0 714 गाटा सं0 276 अ ब क्षे0 6.869 लगान 329.13 रू0 में से क्षे0 0.211 लगान 10.11 रू0 को अकृषिक घोषित किये जाने कि संस्तुति की गयी है।

वादी की ओर से नकल फर्द खसरा खतौनी व बैनामे की छाया प्रति दखल की गयी है। नामिका वकील एवं अन्य किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं0 97 गाटा सं0 259/1 मि0 क्षे0 4.855 है0 लगान 240.35 रू0 में से 1.0040 है0 लगान 14.60 रूपये तथा खाता सं0 714 गाटा सं0 276 अ ब क्षे0 6869 लगान 329.13 रू0 में से क्षे0 0.211 लगान 10.11 रू0 को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैने पत्रावली का भलि–भांति अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर तहसीलदार चांदपुर की आख्या दिनांक 28.01.15 स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चांदपुर की आख्या दिनांक 28.01.15 स्वीकार की जाती है। अतः ग्राम नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं0 97 गाटा सं0 259/1 मि0 क्षे 4.855 है0, लगान 240.35 रू0 में से 1.0040 है0 लगान 14.60 रू0 तथा खाता सं0 714 गाटा सं0 276 अ ब क्षे0 6.869 लगान 329.13 रू0 में से क्षे0 0.211 लगान 10.11 रू0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उपनिबधंक चांदपुर को भेजी जाये। तदानुसार अमल दरामद दर्ज कागजात हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

02/3/15

राकेश यादव
परगनाधिकारी चांदपुर

दिनांक 2.03.2015

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

02/3/15

राकेश यादव
परगनाधिकारी चांदपुर

दिनांक

परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट चांदपुर जि. बिजनौर

प्रमाणित प्रति

PRINCIPAL
Janta College of Pharmacy
Noorpur (Bijnor)

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16020400025 ग्राम का नाम : नूरपुर परगना बूढ़पुर तहसील : चाँदपुर

जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का संदर्भ उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00097	इकबाल सिंह सुरेन्द्र सिंह जनता डिग्री कॉलेज नूरपुर द्वारा प्रबन्धक जियाउद्दीन	हुलसन सिंह नरेन्द्रपाल सिंह अ0 रशीद	नि. ग्राम नि. ग्राम नि रामनगर नूरपुर	1369फ	259/1मि	4.8550		1413फ0 सुरेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्रपाल सिंह ने दि07.12.05 को VGB नूरपुर में खाता सं0 88 व 7? को 150000/- में बंधक किया1ह0तह0र0का0 29.12.5 सुरेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्रपाल सिंह ने दि0 28.3.08 को UPGB नूरपुर से 172000/- में बंधक किया1ह0तह0र0का0 1419फ0 न्या0 तह0 चान्दपुर वाद सं0 512/11/ 5.7.11 सं0भू0 को आदेश हुआ कि गा0सं0 259/1मि 4.855है0 लगान 240.35 के बकदर भाग में से 0.168है0 लगान 8.30 से विक्रेता इकबाल सिंह पुत्र हुलसन सिंह नि मौ0 चौधरीयान नूरपुर का नाम खारिज करके क्रेता जनता डिग्री कॉलेज नूरपुर (बिजनौर) प्रबन्धक जियाउद्दीन पुत्र अ0 रशीद नि मौ0 रामनगर कस्बा नूरपुर का नाम बजरिये बैनामा 420000/- दर्ज हो0ह0र0का0 7.7.11/8.7.11 1419फ0न्या0प0र0अधि0चान्दपुर वाद सं0 18/09 ,3/11धारा 143ज0वि0अधि0 मौजा नूरपुर जियाउद्दीन प्रबन्धक जनता डिग्री कालेज नूरपुर बनाम सरकार मे, दिनांक 6.04.11 को आदेश हुआ कि तहसीलदार चान्दपु की आख्या दि026.6.9स्वीकार की जाती है मौजा नूरपुर के खा0सं097के गा0सं0 259/1/4.991है0 मे से 0.248है0 ल0 12.25 तथा खा0सं0 442के गा0सं0,	

PRINCIPAL
Janta College of Pha
Noorpur (Bijno

0020400025   ग्राम का नाम : नूरपुर   परगना : नूरपुर

: बिजनौर   फसली वर्ष : 1418-1423   भाग : 1

खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन संबंधी आदेश की संख्या तथा दिनांक तथा संशोधन अथवा आदेश देने वाले अधिकारी का पद सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
								259/2/1.265हे0 मे से 0.632हे0 ल0 26.93 कुल रकबा 0.880हे0 ल0 39.18 धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। अ0अ0ता0 30.11.11/1.12.11 1419फ0न्या0तह0नायब तहसीलदार चान्दपुर वाद सं0 [illegible] -12 दि0 9.1.12 को आदेश हुआ कि गा0सं0 259/1मि/4.855हे0ल 240.35 हे0 के बकदर भाग मे से 0.090 हे0 से इकबाल सिह पुत्र हुलसन सिह नि0 ग्राम का नाम खारिज करके विजेन्द्र त्यागी पुत्र होरी सिह नि0 मो0 रविदास नगर नूरपुर का नाम बतौर बैनामा 200000/- दर्ज हो ह0र0का0 12.1.12/17.1.12 1419फ0न्या0ना0तह0धामपुर वाद सं0 183/12 दि0 4.4.12 को आदेश हुआ कि गा0सं0 259/1मि/4.855 हे0 ल0 240.35के बकदर भाग मे से 0.092हे0 से इकबाल सिह पुत्र हुलसन सिह नि0 मो0 चौधरियान नूरपुर का नाम खारिज करके नसीरन मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी नूरपुर द्वारा प्रबन्धक जियाउद्दीन पुत्र अ0 रशीद नि0 मो0 रामनगर नूरपुर का नाम बतौर बैनामा 80000/- दर्ज हो ह0र0का04.4.12 1419फ0न्या0तह0चान्दपुर वाद सं0 424/12 दि0 2.4.12 को आदेश हुआ कि गा0सं0 259/1मि/4.855हे0 ल0 240.35के बकदर भाग मे से 0.174हे से इकबाल सिह पुत्र हुलसन सिह नि0 मो0 चौधरियान नूरपुर का नाम खारिज करके नसीरन मैमोरियल एजुकेशनल सोसायटी नूरपुर द्वारा प्रबन्धक जियाउद्दीन पुत्र अ0 रशीद नि0 मो0 रामनगर नूरपुर का नाम बतौर बैनामा 100000/-दर्ज हो

Principal Janta College Noorpur 13

Manager Naseran Memorial [illegible] Society